

सं०.....

No.....

Form-5



झारखंड सरकार

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND
योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)
DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT
(DIRECTORATE OF STATISTICS AND EVALUATION)



जन्म प्रमाण-पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा झारखण्ड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2009 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया।)

(issued under Section 12/17 of Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the JHARKHAND Registration of Births and Deaths Rules 2009)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित सूचना जन्म के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र).....तहसील.....जिला.....
.....राज्य.....के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area/local body).....of tahsil/block.....of District..... of State/Union territory.....

नाम / Name.....लिंग / Sex.....

जन्म की तिथि / Date of Birth.....जन्म स्थान / Place of Birth.....

माता का नाम / Name of Mother.....

पिता का नाम / Name of Father.....

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता /
Address of parents at the time of birth of the child:

माता पिता का स्थायी पता /
Permanent address of parents:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

पंजीकरण संख्या / Registration No.....पंजीकरण दिनांक / Date of Registration.....

टिप्पणी / Remarks (if any).....

जारी करने की तिथि / Date of issue.....

प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of issuing authority

प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority

मोहर / Seal

“Ensure registration of every birth and death / प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।

सं०.....

No.....



झारखंड सरकार

Form-6



झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND
योजना एवं विकास विभाग
(सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय)

DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT
(DIRECTORATE OF STATISTICS AND EVALUATION)

मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा झारखण्ड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2009 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया।)

(issued under Section 12/17 of Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Jharkhand Registration of Births and Deaths Rules 2009)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र).....तहसील.....जिला.....राज्य.....के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death which is the register for (local area/local body).....of tahsil/block.....Of District..... of State/Union territory.....

नाम / Name.....लिंग / Sex.....

मृत्यु की तिथि / Date of Death.....मृत्यु का स्थान / Place of Death.....

माता का नाम / Name of Mother.....

पिता / पति का नाम / Name of Father/Husband.....

मृतक का मृत्यु के समय का पता /

मृतक का स्थायी पता /

Address of the deceased at the time of death:

Permanent address of the deceased:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

पंजीकरण संख्या / Registration No.....पंजीकरण दिनांक / Date of Registration.....

टिप्पणी / Remarks (if any).....

जारी करने की तिथि / Date of issue..... प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of the issuing authority

प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority

मोहर / Seal

“Ensure registration of every birth and death / प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।